न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील संख्या — 3/2020

जी.सी.एम.एस नम्बर — 2020/00005

अपीलांट्सः—

1. बाबु चौधरी पुत्री जेठाराम
2. जगली देवी पुत्री जेठाराम
3. चौधरी वरजुबैन पुत्री जेठाराम
4. रूकमणी पुत्री जेठाराम जातिगण सीरवी (जणवा चौधरी) निवासीगण फालना गांव, तहसील बाली जिला पाली (राज.)

बनाम रेस्पोंडेंट्सः—

1. तहसीलदार, बाली जिला पाली (राज.)
2. मगाराम पुत्र जेठाराम जाति सीरवी (जणवा चौधरी) निवासी फालना गांव, तहसील बाली जिला पाली (राज.)

उपस्थितिः—

1. श्री गणपत लाल चौधरी, श्री लक्ष्मण के चौधरी, विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट्स
2. कमलेश चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1132 दिनांक 06—07—2015 जो तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृत को निरस्त कराने बाबत्

—:आदेश:— दिनांक 02-09-2021

अपीलांट ने यह प्रार्थना—पत्र धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फालना गांव, भू. अभिलेख निरीक्षक खुडाला, तहसील बाली में अपीलाण्ट्स व उसके सहखातेदारों की संयुक्त खातेदरी कृषि भूमि खसरा नंबर 253 व अन्य कुल कीता 9 रकबा 8.70 हैक्टेयर वार्षिक लगान रूपये 243.99 एवं खसरा नंबर 1184 रकबा 1.24 हैक्टेयर वार्षिक लगान रूपये 16.00 एवं खसरा नं. 685 रकबा 0.17 हैक्टेयर वार्षिक लगान रूपये 0.8500 आयी हुई स्थित है। जिस भूमियों में अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के माता डायली बेवा जेठाजी एवं डायी बाई बेवा जेठाराम वगैरह का नाम भी बहैसियत संयुक्त खातेदारी में दर्ज रहा है। डायली बेवा जेठाजी की मृत्यु होने पर उनके वारिसान् के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 1132 दिनांक 06.07.2015 के द्वारा दर्ज किया गया। जिसमें पटवारी हल्का ने म्युटेशन भरते समय लिखा कि डायली पत्नि जेठाजी की मृत्यु होने पर जायन्दे वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोला गया एवं वास्ते जांच एवं एवं फैसले हेतु श्रीमान की सेवामें सादर पेश है। उक्त नामान्तरकरण पटवारी हल्का फालना गांव द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान में भरा जाकर भू अभिलेख निरीक्षक खुडाला के पास जांच हेतु भेजा। जिन्होने बाद जांच अपनी रिपोर्ट लिखा मजमे आम में जांच किया इन्द्राज सही है। उसके बाद पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरते समय उत्तराधिकारी के तौर पर अपीलाण्ट्स बाबु चौधरी की जगह बाबू, जगली देवी की जगह जगी, चौधरी वरजुबैन की जगह वरजु, रूकमणी की जगह रकमों के नाम का इन्द्राज नामान्तरकरण में दर्ज कर दिया। जबकि अपीलाण्ट के

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

नाम आधार कार्ड, पेनकार्ड मे क्रमशः बाबु चौधरी, जगली देवी, चौधरी वरजुबैन, रूकमणी पुत्री जेठाराम के रूप में नाम नाम दर्ज है। इस प्रकार अपीलाण्ट्स के नाम अपने माता डायली बेवा जेठा की मृत्यु के बाद भरे गये विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1132 दिनांक 06.07.2015 को जो नामान्तरकरण भरा गया जो गलत नाम से भर दिया गया है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1132 में बाबु, जगी, वरजु, रकमो पुत्रीयों जेठाराम की जगह बाबु चौधरी, जगली देवी, चौधरी वरजुबैन, रूकमणी पुत्री जेठाराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

2. अपील म्याद बाहर होने से अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के दौराने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम फालना गांव तहसील बाली के खसरा नं. 253 व अन्य कुल कीता 9 रकबा 8.70 हैक्टेयर वार्षिक लगान रूपये 243.99 एवं खसरा नं. 1184 रकबा 1.24 हैक्टेयर वार्षिक लगान रूपये 16.00 एवं खसरा नं. 685 रकबा 0.17 हैक्टेयर वार्षिक लगान रूपये 0.85 की कृषि भूमि अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की डायली बेवा जेठाजी एवं डायी बाई बेवा जेठाराम वगैरह के नाम बहैसियत संयुक्त खातेदारी की राजस्व रेकर्ड अनुसार आई हुई थी। डायली बेवा जेठाजी एवं डायी बाई बेवा जेठाराम की मृत्यु होने पर उनके वारिसान् के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 1132 दिनांक 06.07.2015 के दर्ज किये गये इस दोहराने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2015 के चलते राजस्व कर्मचारियों द्वारा आनन–फानन में बिना किसी विधिक जांच प्रताड़ल किये बिना सुने बिना, अपीलाण्ट के पक्ष में सरकारी/अर्द्धसरकारी जारी वैद्य दस्तावेजात–मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड व बैंक डायरी के प्राप्त किये एवं देखे बिना हीं अपनी मर्जी से लोगों द्वारा पुछ कर स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले नामों के आधार पर गलत नाम दर्ज करते हुये अपीलाधीन फौतेदगी नामान्तरकरण भर दिया, जिसकी भू–अभिलेख निरीक्षक ने बिना जांच किये रेकर्ड से मिलान कर उसे सहीं होना मानकर अपनी रिपोर्ट कर दी और उसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार बाली ने अपीलाण्ट्स को सुने बिना हीं उनकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण के जरिये अपीलाण्ट्स के गलत व दस्तावेजों से भिन्न नाम दर्ज हो जाने से अपीलाण्ट्स हाल हीं में राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा काश्तकारो को दी जाने वाली सहायता/अनुदान से वंचित होना पड़ रहा है। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरते समय उत्तराधिकारी के तौर पर अपीलाण्ट्स बाबु चौधरी की जगह बाबू, जगली देवी की जगह जगी, चौधरी वरजुबैन की जगह वरजु, रूकमणी की जगह रकमों के नाम का इन्द्राज नामान्तरकरण में दर्ज कर दिया। जबकि अपीलाण्ट के नाम आधार कार्ड, पेनकार्ड में क्रमशः बाबु चौधरी, जगली देवी, चौधरी वरजुबैन, रूकमणी पुत्री जेठाराम के रूप में नाम दर्ज है। इस प्रकार अपीलाण्ट्स के नाम अपने माता डायली बेवा जेठा की मृत्यु के बाद भरे गये विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1132 दिनांक 06.07.2015 को जो नामान्तरकरण भरा गया जो गलत नाम से भर दिया गया है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1132 में बाबु, जगी, वरजु, रकमो पुत्रीयों जेठाराम की जगह बाबु चौधरी, जगली देवी, चौधरी वरजुबैन, रूकमणी पुत्री जेठाराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे तथा इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1132 Ab initio Void and Honest होने से निरस्त करने योग्य है।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील के समर्थन में कथन करते हुये निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण को खारिज कर पुनः अपीलाण्ट्स के नाम सुधार कर भरा जाता है तो उसमें उसको कोई आपत्ति नहीं है।

7. बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। अपील में जैर नामान्तरकरण के जरिये अपीलाण्ट्स के गलत नाम इन्द्राज करने एवं उसके रहते सरकारी सहायता/अनुदान के हक–अधिकारों के वंचित होने का प्रश्न होने से गुणावगुण पर निर्णय की जाती है। ग्राम फालना गांव, तहसील बाली के खसरा नंबर 253 व अन्य कुल कीता 9 रकबा 8.70 हैक्टेयर वार्षिक लगान रूपये 243.99 एवं खसरा नंबर 1184 रकबा 1.24 हैक्टेयर वार्षिक लगान रूपये 16.00 एवं खसरा नंबर 685 रकबा 0.17 हैक्टेयर वार्षिक लगान रूपये 0.85 अपीलाण्ट की माता डायली बेवा जेठाजी एवं डायी बाई बेवा जेठाराम वगैरह की संयुक्त खातेदारीसुदा रहीं है एवं इनकी मृत्यु के बाद विरासत का उक्त जैर नामान्तरण संख्या 1132 भरा गया है उस समय पटवारी हल्का को डायली बेवा जेठाजी एवं डायी बाई बेवा जेठाराम के वारिसाने के नामों के विधिक दस्तावेज प्राप्त कर एवं देखकर उनकी सहीं जांच कर अपीलाधीन म्यूटेशन पारित करना था जो नहीं किया गया साथ हीं तहसीलदार बाली द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के समय विधिक वारिसानों के नाम इन्द्राज के सम्बन्धित दस्तावेजों की जांच कर उनको सुनते हुये विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर स्वीकृत करना था। जिसकी पालना नहीं की गई है। जिससे अपीलाण्ट्स अपने पिता की सम्पत्ति से प्राप्त विधिक हक–अधिकारों से वंचित हो रहें है। इस कारण से जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। मौजा ग्राम फालना गांव तहसील बाली का स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1132 दिनांक 06.07.2015 तहसीलदर बाली द्वारा स्वीकृत किया गया है को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि पक्षकार को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का प्रर्याप्त अवसर देकर तथा उनके नाम से संबंधित दस्तावेजों की सहीं जांच कर, विधि सम्मत तरीके से नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। तहसीलदार, बाली को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 02-09-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)